संख्या-449/2017/187/22-2-2017-17(124)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 जून, 2017

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बालगोविन्द पुत्र श्री मंगरे रैदास , निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/2016 (एम 17.11.2016) दिनांक-16.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 16.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी बालगोविन्द पुत्र श्री मंगरे रैदास, ग्राम-रमुआपुर, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने लगभग 5 वर्ष पूर्व श्रीमती लखना देवी की हत्या की थी। कई बार शिवभगवान से केस में गवाही देने से मना किया था। इसी रंजिश में दिनांक 11.11.1997 को सायं 05.30 बजे शिवभगवान को बांका से मारकर घायल कर दिया, जिससे थोडी देर बाद उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-173/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खीरी के आदेश दिनांक 30.11.2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2016 तक 18 वर्ष 01 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 02 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं के आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, खीरी ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा गया है कि बन्दी ने पूर्व श्रीमती लखना देवी की हत्या में गवाही देने के कारण शिवभगवान नामक व्यक्ति की बांके से हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-47 वर्ष 04 माह लगभग होने, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, खीरी ने 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बालगोविन्द पुत्र श्री मंगरे रैदास, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बालगोविन्द (बन्दी संख्या-43725) पुत्र श्री मंगरे रैदास, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-449/2017/187(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-449/2017/187@22-2-2017-17(124)/2017

दिनांक 16 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बालगोविन्द (बन्दी संख्या-43725) पुत्र श्री मंगरे रैदास, ग्राम-रमुआपुर, थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। बन्दी ने लगभग 5 वर्ष पूर्व श्रीमती लखना देवी की हत्या की थी। कई बार शिवभगवान से केस में गवाही देने से मना किया था। इसी रंजिश में दिनांक 11.11.1997 को सायं 05.30 बजे शिवभगवान को बांका से मारकर घायल कर दिया, जिससे थोडी देर बाद उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-173/1998 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खीरी के आदेश दिनांक 30.11.2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.01.2016 तक 18 वर्ष 01 माह 27 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 02 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं के आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, खीरी ने बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अभिमत में कहा गया है कि बन्दी ने पूर्व श्रीमती लखना देवी की हत्या में गवाही देने के कारण शिवभगवान नामक व्यक्ति की बांके से हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु-47 वर्ष 04 माह लगभग होने, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने, भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, खीरी ने 05 बिन्दु की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बालगोविन्द पुत्र श्री मंगरे रैदास, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in